न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 53/2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारनाडूंगर

तारीख रजू 04.05.2021

..........प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर
2. सीताराम पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर
3. रामप्यारी पत्नि स्व0 घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19/1/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, सीताराम पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं रामप्यारी पत्नि स्व0 घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 बीघा वाके ग्राम बिलोली नदी में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 1047–49 दिनांक 07–04–2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, सीताराम पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं रामप्यारी पत्नि स्व0 घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर की ओर से श्री नैताविन्द सिंह जादौन एडवोकेट द्वारा [illegible]तनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण को काफी मौके दिये जाने के [illegible] ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के [illegible] को पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के [illegible] नियत दिनांक [illegible]/11/2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] की दिनांक [illegible] मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। [illegible] अदालत मातहत

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी पर भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, सीताराम पुत्र घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं रामप्यारी पत्नि स्व0 घूडया जाति कुम्हार निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारनाडूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बाढ बिलोली के आराजी खसरा नम्बर 367 रकबा 0.01, 368 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर